प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' तैंतालीस '

[16/12/2015] परिशिष्ट - एक

प्रश्न सं. [क्र. 1257]

पूरक जानकारी :– विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक,1257 द्वारा श्री रामपाल सिंह

1. शहडोल जिलें में कुल 19 खण्डलेखक कार्यरत् है। (सूची संलग्न)

2. मध्य प्रदेश के अन्य जिले एवं तहसील कार्यालयों में पदस्थ खण्डलेखकों को कुशल श्रमिक के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान राजपत्र में प्रकाशित परिपत्र अनुसार दिया जा रहा है। उनके पारिश्रमिक से किसी प्रकार का कटौत्रा नहीं किया जा रहा है।

3. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक एफ–10–7 /2010/सात/4–ए, दिनांक 04–02–2011 एवं कमांक एफ–10–7 /2010/सात 4–ए, दिनांक 23–08–2012 (प्रतिलिपि संलग्न) के निर्देशानुसार साप्ताहिक अवकाश को छोडकर शेष विश्राम दिवस काटकर प्रतिदिन की दर से कुशल श्रमिको के समान पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा है।

4. श्रमायुक्त म.प्र.शासन इन्दौर द्वारा समय–समय पर जारी श्रमिकों की दरों की अधिसूचना के परिशिष्ट अ,ब, स्पष्टिकरण–1, (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार गणना करते हुये खण्ड लेखको को साप्ताहिक अवकाश का पारिश्रमिक सहित भुगतान किया जाता है। साप्ताहिक अवकाश के लिए पारिश्रमिक की कटौती नही की जाती है।

संयुक्त राजस्व आयुक्त

मध्यप्रदेश, भोपाल